न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी -- नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 15/2020

रजिस्ट्रेशन नं. :2020/00016

अभियुक्त :--

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा	बनाम	श्री राजेन्द्र रेबारी पुत्र श्री अर्जुनलाल रेबारी जाति रेबारी मालिक विक्रेता मैसर्स मातेश्वरी दुध डेयरी बेडवा बस स्टेण्ड परतापुर तहसील गढी जिला बॉसवाडा स्थायी पता – बडवा ढाणी, मोहल्ला – पाडलिया ढाणी पो. परतापुर तहसील गढी जिला बॉसवाडा।

उपस्थित :--

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा	श्री राजेन्द्र रेबारी पुत्र श्री अर्जुनलाल रेबारी

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 08.07.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री अशोक कुमार गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 02-06-2020 को यह इस्तगासा इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 27-11-2019 को 02.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **मैसर्स मातेश्वरी दुध डेयरी बेडवा बस स्टेण्ड परतापुर** पर पहुचा। इस समय संस्थान पर **श्री राजेन्द्र रेबारी पुत्र श्री अर्जुनलाल रेबारी** उपस्थित थे। निरीक्षण करने पर विक्रेता की डेयरी पर एक फ्रिजर में 1 केन में करीबन 40 लीटर दुध आम जनता को विक्रय हेतु पाया गया। इसमें सब स्टेण्डर्ड, अनसेफ का शक होने पर विक्रेता को फार्म नं.5ए पर उक्त मिक्स दुध 2 लीटर साफ, सूखी एवं खाली स्टील की भगौनी में जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी किमत 80 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। वास्ते निरीक्षण खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन-2019 का दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत नही किया। नमूना जॉच हेतु खरीदशुदा दो लीटर मिक्स दुध को चार साफ, सुखी व खाली प्लास्टिक की बोतलो में भरकर फार्मेलीन की 40 बूंद प्रत्येक में डालकर बोतल का मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द किया। उक्त चार नमुना भागो में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक 357 दिनांक 26.12.2019 एवं खाद्य विश्लेषक, खाद्य एवं मानक प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 14 दिनांक 10.12.2019 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया मिक्स दुध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत एवं विक्रेता के पास मौके पर खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु किसी प्रकार का लायसेंस रजिस्ट्रेशन नही पाया गया चुकि दुकानदार छोटा विक्रेता है तथा मौके पर विक्रेता ने अपना वार्षिक टर्न ओवर 5 लाख रुपया होना बताया अधिनियम की धारा 31(2) के तहत खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। जो विक्रेता के पास नही होने से खाद्य

सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(v) का उल्लंघन होने से उक्त अधिनियम की धारा 58 अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 03–06–2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक **08.07.2020** को अभियुक्त **श्री राजेन्द्र रेबारी पुत्र श्री अर्जुनलाल रेबारी जाति रेबारी मालिक विक्रेता मैसर्स मातेश्वरी दुध डेयरी बेडवा बस स्टेण्ड परतापुर तहसील गढी जिला बॉसवाडा** ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक 357 दिनांक 26.12.2019 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 14 दिनांक 10–12–2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया मिक्स दुध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया गया मिक्स दुध विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत् एवं अधिनियम की धारा 31(2) के तहत खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। जो विक्रेता के पास नही होने से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(v) का उल्लंघन होने से उक्त अधिनियम की धारा 58 अन्तर्गत आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्री राजेन्द्र रेबारी पुत्र श्री अर्जुनलाल रेबारी जाति रेबारी मालिक विक्रेता मैसर्स मातेश्वरी दुध डेयरी बेडवा बस स्टेण्ड परतापुर तहसील गढी जिला बॉसवाडा** को रूपये 10000/– (अक्षरे रू. दस हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2020 खुले न्यायालय सुनाया गया।

नरेश बुनकर

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2020.07.13 16:38:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: